कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधाना/स्थाना./2021 दिनांक 02.02.2021 द्वारा श्रीमती करूणा रावत, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, नांगल जैसा बोहरा जिला जयपुर का स्थानान्तरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मनाना, मकराणा जिला नागौर एवं समसंख्यक आदेश दिनांक 06.02.2021 द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मनाना, मकराणा जिला नागौर से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राधाकिशनपुरा जिला जयपुर किया गया था जिसके विरूद्ध श्रीमती करूणा रावत द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 1094/2021 करूणा रावत बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई।

अपील संख्या 1094/2021 में माननीय अधिकरण द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 11.02.2021 द्वारा विभागीय आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 02.02.2021 व 06.02.2021 का प्रभाव एवं क्रियान्वयन अपीलार्थी श्रीमती करूणा रावत के सम्बन्ध में माननीय अधिकरण के आगामी आदेश तक स्थगित किया गया है।

अतः अपीलार्थी श्रीमती करूणा रावत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, नांगल जैसा बोहरा जिला जयपुर (218995) में प्रधानाचार्य के पद पर पदस्थापित रहेगी एवं स्थगन से प्रभावित प्रधानाचार्य श्री महावीर सिंह राठौड़, का अन्तरिम समायोजन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राधाकिशनपुरा जिला जयपुर में किया जाता है। उक्त पदस्थापन/समायोजन पूर्णतः माननीय अधिकरण के आगामी/अन्तिम निर्णयाधीन रहेंगे।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–मा./संस्था/बी–2/करूणा/अपील/1094/21 **दिनांकः** 18.02.2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर संभाग, जयपुर।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जयपुर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक, जयपुर।
6. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जयपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. सम्बन्धित प्रधानाचार्यो को आदेश की पालनार्थ।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)